

परियोजना का नाम:- चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि०मी० 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

आम सभा का अनापति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गांवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव एवं अनापति प्रमाण पत्र संलग्न है।

21/3/2020

21/3/2020

21/3/2020

21/3/2020

प्रपत्र-23.1

दिनांक ३-१०-१९..... में ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - कुमराड़ा (गेंवला), पट्टी- भण्डारस्यू
तहसील - डुण्डा, जिला-उत्तरकाशी।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	27 कर्मचारी	27 कर्मचारी
2	कलूच चन्द	कलूच चन्द
3	विजयपाल चन्द रमोला	
4	श्री अन्तर चन्द रमोला	
5	श्री-प्रकाश चन्द रमोला	
6	रमेश चन्द रमोला	रमेश चन्द
7	राजेश चन्द रमोला	राजेश
8	वल्लभ चन्द	वल्लभ
9	विनोद चन्द	
10	गिरीश चन्द	गिरीश
11	महेन्द्र चन्द	महेन्द्र
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

71

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि०मी० 0.00 से 24.300 (धरासू बैड़ से सिलक्यारा बैड़) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाईड ट्रीटमेंट जोन के लिए हे० वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - कौड़ाफेडी, पट्टी- दसकी

तहसील - डुण्डा, जिला - उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि०मी० 0.00 से 24.300 (धरासू बैड़ से सिलक्यारा बैड़) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाईड ट्रीटमेंट जोन के लिए 5.969 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कौड़ाफेडी (डुण्डा) द्वारा दिनांक 3-10-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कौड़ाफेडी (डुण्डा) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट को उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि०मी० 0.00 से 24.300 (धरासू बैड़ से सिलक्यारा बैड़) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाईड ट्रीटमेंट जोन परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

12/10/18
डा० प. डि. श्री
कौड़ाफेडी

ह०/-

वीरवीर

ग्राम पंचायत कौड़ाफेडी
मुख्य सचिव

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 3-10-18 के ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत का नाम - कौड़ाफेडी, पट्टी- दसकी
तहसील - डुण्डा, जिला - उत्तरकाशी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बच्चू 88 श्री सत्य सिंह	बच्चू
2		
3	उमेश सिंह	उमेश सिंह
4	विजय लाल	विजय लाल
5	संजय सिंह	संजय सिंह
6	भाग सिंह	भाग सिंह
7		
8	गंगा लाल	गंगा लाल
9	हर लाल	हर लाल
10	मातवर लाल	मातवर
11	इलम	इलम
12	मनीष	मनीष
13	भरत सिंह	भरत सिंह
14		
15		
16		
17		
18		

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग - 94 (134) किमी० 0.000 से 24.300 (धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन के लिए हे० वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र)

ग्राम पंचायत का नाम - कुमराड़ा (गेंवला), पट्टी- भण्डारस्यूं
तहसील - डुण्डा, जिला-उत्तरकाशी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) किमी० 0.000 से 24.300(धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना के (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन के लिए हे० वन भूमि हस्तांतरण राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो० नि० वि० बड़कोट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुमराड़ा (गेंवला), डुण्डा द्वारा दिनांक 3-10-16 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुमराड़ा (गेंवला), डुण्डा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट को उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 94(134) किमी० 0.000 से 24.300(धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना के (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....
वि०ख०-....., उत्तरकाशी



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 3-10-19..... में ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - कुमराड़ा (गेंवला), पट्टी- भण्डारस्यूं

तहसील - डुण्डा, जिला-उत्तरकाशी।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रजकरीचन्द	रजकरीचन्द
2	मन्नाचन्द	मन्नाचन्द
3	विजयपाल - चन्द रमोला	
4	श्री अन्तर - चन्द रमोला	
5	श्री - प्रकाश चन्द रमोला	
6	रमेश चन्द रमेश चन्द रमेश	रमेश चन्द
7	राजेश चन्द रमोला	राजेश
8	जलम चन्द	जलम
9	विनीत चन्द	
10	गिरीश चन्द	
11	भद्रेश चन्द	
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

75

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग - 94 (134) किमी० 0.000 से 24.300 (धरासू बँड से सिलक्यारा बँड) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन के लिए हे० वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र)

ग्राम पंचायत का नाम - कुमराड़ा (गेंवला), पट्टी- भण्डारस्यूं
तहसील - डुण्डा, जिला-उत्तरकाशी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) किमी० 0.000 से 24.300(धरासू बँड से सिलक्यारा बँड) तक चार धाम परियोजना के (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन के लिए हे० वन भूमि हस्तांतरण राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो० नि० वि० बड़कोट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुमराड़ा (गेंवला), डुण्डा द्वारा दिनांक 3-10-18..... को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुमराड़ा (गेंवला), डुण्डा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट को उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 94(134) किमी० 0.000 से 24.300(धरासू बँड से सिलक्यारा बँड) तक चार धाम परियोजना के (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....
वि०ख०-....., उत्तरकाशी



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।